संख्या–137(क)

पंजीकृत संख्या–यूए०डी०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर, 2005 ई०
कार्तिक 09, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 607/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 22, सन् 2005 के रूप मे सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 है।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियत करे।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "वार्षिक बजट" से संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान सभा के समक्ष रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण अभिप्रेत है;

(ख) "चालू वर्ष" से ऐसे वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष अभिप्रेत है जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा हो;

(ग) "राजकोषीय घाटा" से,

(i) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिक राज्य की समेकित निधि से कुल संवितरण (ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) अभिप्रेत है, या

(ii) स्वकर और करेतर राजस्व प्राप्तियों, राज्य को भारत सरकार से न्यागमन और अन्य अनुदानों और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उधार सम्बन्धी अपेक्षाओं व ऋण के शुद्ध प्रतिसंदाय को रुपित करती हैं, से अधिक राज्य सरकार की समेकित निधि से (उधारों को लेकर किन्तु ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) कुल व्यय अभिप्रेत है;

(घ) "राजकोषीय सूचकों" से राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद या किसी अन्य किन्हीं अनुपातों की, जैसा विहित किया जाय, अधिकतम आंकिक सीमा और अनुपात जैसे माप अभिप्रेत हैं;

(ङ) "पूर्ववर्ती वर्ष" से चालू वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष अभिप्रेत है;

(च) "राजस्व घाटा" से राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर अभिप्रेत है;

(छ) "कुल दायित्वों" से राज्य की समेकित निधि और राज्य लोक लेखा के अधीन दायित्व अभिप्रेत है।

विधान सभा के समक्ष रखी जाने वाली मध्यकालिक राजकोषीय नीति

3. (1) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय नीति रखेगी।

(2) मध्यकालिक राजकोषीय नीति में विहित राजकोषीय सूचकों के लिए अन्तर्निहित धारणाओं के विनिर्देश के साथ त्रिवर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित होंगे।

(3) विशिष्टतः और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यकालिक राजकोषीय नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित से सम्बन्धित संपोषणीयता का निर्धारण भी होगा :—

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य अधिशेष;

(ii) उत्पादकारी आस्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का, जिसके अन्तर्गत उधार भी है, प्रयोग।

(4) मध्यकालिक राजकोषीय नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य सरकार के मध्यकालिक राजकोषीय उद्देश्य;

(ख) बजट में दिये गये लक्ष्य की तुलना में विहित राजकोषीय सूचकों के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष में सम्भावित निष्पादन;

(ग) हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों और राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करने वाली वृद्धि एवं विकास की भावी सम्भावनाओं पर विवरण;

(घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्रों में राज्य सरकार की प्राथमिकताएं;

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधारों और अन्य दायित्वों, उधार दिये जाने और निवेश, प्रशासित माल और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, प्रत्याभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के क्रियाकलापों जिनकी सम्भावित आय-व्ययक उपलक्षणा हो, से सम्बन्धित राज्य सरकार की नीतियों और इनमें प्रत्येक से सम्बन्धित मूल राजकोषीय अध्युपाय और लक्ष्य;

(च) इस सम्बन्ध में यह मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियां किस प्रकार धारा 4 में दिये गये राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यकालिक राजकोषीय नीति में दिये गये वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

(5) मध्यकालिक राजकोषीय नीति यथाविहित प्रपत्र में होगी।

वित्तीय प्रबन्ध नीतियां

4. (1) राज्य सरकार, निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों द्वारा मार्ग-दर्शित होगी :-

(क) प्रबुद्ध स्तरों पर सरकारी ऋण का अनुरक्षण करना;

(ख) प्रत्याभूतियों और अन्य समाश्रित दायित्वों का, ऐसे दायित्वों की गुणवत्ता और उनके स्तर को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए प्रबन्ध करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सरकार के नीति विषयक विनिश्चयों में भविष्य की पीढ़ी पर उसकी वित्तीय उपलक्षणा पर सम्यक् ध्यान दिया गया है;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि उधार का उपयोग ऐसे विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों पर, जिनके सम्बन्ध में यह मूल्यांकन किया गया हो कि वे स्वयं संपोषित हो जायेंगी और पूंजीगत आस्तियों के सृजन और उनकी वृद्धि पर किया जाय और उनका उपयोग वर्तमान व्यय के वित्त पोषण पर न किया जाय;

(ङ) कर भार के स्तर में स्थायित्व और भविष्य सूचकता का उचित स्तर सुनिश्चित करना;

(च) विशेष प्रोत्साहनों, रियायतों और छूटों को न्यूनीकृत करके कर प्रणाली की समग्रता को बनाए रखना;

(छ) आर्थिक दक्षता और अनुपालन लागतों पर सम्यक् ध्यान देते हुए कर सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना;

(ज) लागत वसूली और साम्या पर सम्यक् ध्यान देते हुए करेतर राजस्व नीतियों का अनुसरण करना;

(झ) ऐसी व्यय सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना जिससे आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और मानव कल्याण में सुधार को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके;

(ञ) पूंजी सृजन और उत्पादक व्यय में उपयोग के लिए राजस्व अधिशेष का सृजन करना;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि सरकार की भौतिक आस्तियों का अनुरक्षण उचित रूप से किया जाता है;

(ठ) पर्याप्त सूचना का प्रकट करना जिससे कि जनता राजकोषीय नीति के संचालन और लोक वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सके;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि सरकार संसाधनों का उपयोग ऐसे ढंग से करती है जिससे कि धन का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो सके और यह भी सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक आस्तियों का सर्वाधिक उपयोग संभव हो;

(ढ) लोक कल्याण और सेवा प्रदान कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और जनोपयोगी सेवाओं के संचालन से सम्बद्ध राजकोषीय जोखिम को न्यूनीकृत करना;

(ण) राजस्व वसूली के स्तर के अनुरूप व्यय का प्रबन्ध करना;

(त) सामान्य आर्थिक दृष्टिकोण और राजस्व सम्भावनाओं पर सम्यक् ध्यान देते हुए यथार्थ और निरपेक्ष रीति से बजट तैयार करना और वर्ष के दौरान विचलन को न्यूनीकृत करना;

(थ) चालू दायित्वों का समय से निस्तारण करना।

(2) राज्य सरकार राजस्व घाटा दूर करने और संपोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष निर्मित करने के समुचित उपाय करेगी।

(3) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

(क) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खण्ड (क) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटे में कमी करेगी;

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(ङ) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी;

(च) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हों :

परन्तु यह कि आन्तरिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकता है, कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य जो आपदाओं के लिए आरोपित किया जा सकता हो, से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की, यह संभाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की धनराशि उपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, विधान मण्डल के समक्ष, आधिक्य की संभावित सीमा और उसके कारणों को अधिकथित करते हुए, एक रिपोर्ट के साथ रखा जाएगा।

राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय

5. (1) राज्य सरकार लोकहित में अपने राजकोषीय प्रवर्तनों में अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगी और जहां तक साध्य हो, वार्षिक बजट की तैयारी में गोपनीयता को कम करेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, वार्षिक बजट तैयार किये जाने के समय ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाय, एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी :–

(क) विहित वित्तीय सूचकों को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की सम्भावना वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ख) जहां तक सम्भव हो, और लोकहित की संरक्षा के अनुरूप, प्रत्याभूतियों द्वारा सृजित आकस्मिक दायित्व; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उधार से उद्भूत होने वाले वास्तविक दायित्व और असामान्य उद्देश्य साधन और अन्य समकक्ष लिखत, जहां प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार के आवंटनों पर हो तथा संभावित आय–व्ययक उपलक्षणा वाली राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं जिनमें समुत्थापित किन्तु अप्राप्त राजस्व मांग, कर व्यय; सार्वजनिक माल एवं सेवाएं सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं उपक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराने में उपगत क्षतियां, वृहद् कार्यों और संविदाओं से सम्बन्धित दायित्व; और आर्थिक सहायता के संदाय और धारा–4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट लक्ष्यों सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति पर उक्त का प्रभाव।

अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय

6. (1) वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियां आगामी और भावी वर्षों के लिए मध्यकालिक राजकोषीय नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होंगी।

(2) वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान सभा के समक्ष रखेगा। पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय।

(3) पुनर्विलोकन रिपोर्ट में–

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं की पूर्ति करने में किसी विचलन या सम्भावित विचलन को स्पष्ट किया जायगा;

(ख) स्पष्ट किया जायगा कि क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट सम्बन्धी परिणामों से सम्बन्धित है, और कितना विचलन सामान्य आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार द्वारा नीति परिवर्तनों के कारण है; और

(ग) उन उपचारी उपायों को स्पष्ट किया जायेगा जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।

(4) जब कभी राज्य सरकार के किसी नये नीति विनिश्चय, जिससे या तो राज्य सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रभावित हों, के कारण किसी दिये गये वर्ष के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों से राजस्व में कमी या व्यय के आधिक्य की संभाव्यता हो तो राज्य सरकार, ऐसे नीति विनिश्चय करने के पूर्व ऐसी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए किसी अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित की जाने वाली प्राधिकृत धनराशियों में कमी करके, या राजस्व संवर्धन के अंतरिम उपाय करके या दोनों का सम्मिलित उपाय करके चालू और भावी वर्षों के लिए राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने का उपाय करेगी :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की समेकित निधि से प्रभारित व्यय के लिए इस उपधारा की कोई भी बात लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्षों से अनुषक्त रहने के दौरान राज्य सरकार मध्यकालिक राजकोषीय नीति में, "उच्च प्राथमिकता विकास व्यय" के रूप में परिभाषित कतिपय व्यय में कमी से संरक्षित रखने को प्राथमिकता देगी और घटा सकेगी या आंशिक कमी अधिरोपित कर सकेगी।

(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्सम कमी और/या राजस्व के सम्वर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।

नियम बनाने की शक्ति

7. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए विहित किये जाने वाले राजकोषीय सूचक,

(ख) धारा 3 में निर्दिष्ट मध्यकालिक राजकोषीय नीति की अवधि;

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जा सकता है।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्य का संरक्षण

8. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अन्य विधियों का जो वर्जित न हों, लागू किया जाना

9. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है जैसा वह कठिनाई दूर करने के लिए उचित समझे और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal Fiscal Responsibility and Budget Management Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 22 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 27, 2005.

No. 607/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, October 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT No. 22 OF 2005)

To provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability, and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government borrowings, Government guarantees, debt and deficits, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework and for matters connected therewith or incidental thereto.

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows :--

Short Title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in this behalf, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires--

(a) "annual budget" means the annual financial statement laid before the house of State Assembly under Article 202 of the Constitution;

(b) "current year" means the year preceding the year for which budget is being presented;

(c) "fiscal deficit" means the excess of--

(i) total disbursements from the Consolidated Fund of the State (excluding repayment of debt) over total receipts into the Fund (excluding the debt receipts) during a financial year, or

(ii) total expenditure from the Consolidated Fund of the State (including loans but excluding repayment of debt) over own tax and non-tax revenue receipts, devolution and other grants from Government of India to the State, and non-debt capital receipts during a financial year which represents the borrowing requirements, net of repayment of debt, of the State Government during the financial year;

(d) "Fiscal Indicators" means the measures such as numerical ceilings and proportions to gross State domestic product or any other ratios, as may be prescribed, for evaluation of the fiscal position of the State Government;

(e) "previous year" means the year preceding the current year;

(f) "revenue deficit" means the difference between revenue expenditure and revenue receipts;

(g) "total liabilities" means the liabilities under the Consolidated Fund of the State and the public account of the State.

Medium Term Fiscal Policy to be laid before the State Assembly

3. (1) The State Government shall in each financial year lay before the State Assembly a Medium Term Fiscal Policy along with the annual budget.

(2) The Medium Term Fiscal Policy shall set forth a three year rolling targets for the prescribed fiscal indicators with specification of under lying assumptions.

(3) In particular and without prejudice to the provisions contained in sub-section (2), the Medium Term Fiscal Policy shall include an assessment of sustainability relating to--

(i) the balance between revenue receipts and revenue expenditure;

(ii) the use of capital receipts including borrowings for generating productive assets.

(4) The Medium Term Fiscal Policy shall, *inter-alia* contain--

(a) the medium term fiscal objectives of the State Government;

(b) an evaluation of performance on the basis of the prescribed fiscal indicators *vis-a-vis* the targets set out in the budget and the likely performance in the current year as per revised estimates;

(c) a statement on recent economic trends and future prospects for growth and development affecting fiscal position of the State Government;

(d) the strategic priorities of the State Government in the fiscal areas for the ensuing financial year;

(e) the policies of the State Government for the ensuing financial year relating to taxation, expenditure, borrowings and other liabilities, lending and investments, pricing of administered goods and services, guarantees and activities of Public Sector Undertakings which have potential budgetary implications; and the key fiscal measures and targets pertaining to each of these;

(f) an evaluation as to how current policies of the State Government are in conformity with the fiscal management principles set out in section 4 and the fiscal objectives set out in the Medium Term Fiscal Policy.

(5) The Medium Term Fiscal Policy shall be in such form as may be prescribed.

Fiscal Management Principles

4. (1) The State Government shall be guided by the following fiscal management principles:--

(a) To maintain Government debt at prudent levels;

(b) To manage guarantees and other contingent liabilities prudently, with particular reference to the quality and level of such liabilities;

(c) To ensure that policy decisions of the Government have due regard to their financial implication on future generation;

(d) To ensure that borrowings are used on development activities, which are evaluated to become self-sustained, and creation or augmentation of capital assets, and are not applied to finance current expenditure.

(e) To ensure a reasonable degree of stability and predictability in the level of tax burden;

(f) To maintain the integrity of the tax system by minimising special incentives, concessions and exemptions;

(g) To pursue tax polices with due regard to economic efficiency and compliance costs;

(h) To pursue non-tax revenue policies with due regard to cost recovery and equity;

(i) To pursue expenditure policies that would provide impetus to economic growth, poverty reduction and improvement in human welfare;

(j) To build up a revenue surplus for use in capital formation and productive expenditure;

(k) To ensure that physical assets of the Government are properly maintained;

(l) To disclose sufficient information to allow the public to scrutinise the conduct of fiscal policy and the state of public finance;

(m) To ensure that Government uses resources in ways that give best value for money and also ensure that public assets are put to best possible use;

(n) To minimize fiscal risks associated with running of public sector undertakings and utilities providing public goods and services;

(o) To manage expenditure consistent with the level of revenue generated;

(p) To formulate budget in realistic and objective manner with due regard to the general economic outlook and revenue prospects and minimise deviations during the course of the year;

(q) To ensure discharge of current liabilities in a timely manner.

(2) The State Government shall take appropriate measures to eliminate the revenue deficit and control the fiscal deficit at sustainable level and built up adequate revenue surplus.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall--

(a) reduce revenue deficit to nil within a period of four financial years beginning from the 1st day of April, 2005 and ending on the 31st day of March, 2009;

(b) reduce revenue deficit as percentage of Gross State Domestic Product in each of the financial years referred to a clause (a) in a manner consistent with the goal set out in clause (a);

(c) reduce fiscal deficit to not more than three per cent of the estimated Gross State Domestic Product within the period referred to in clause (a);

(d) reduce fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic product in each of the financial years referred to in clause (a) in a manner consistent with the goal set out in clause (c);

(e) not to give guarantee for any amount exceeding the limit stipulated under any rule or law of the State Government existing at the time of the coming into force of this Act or any rule or law to be made by the State Government subsequent to coming into force of this Act;

(f) ensure within a period of ten financial years; beginning from the initial financial year on the 1st day of April, 2005 and ending on the 31st day of March, 2015 that the total liabilities at the end of the last financial year, do not exceed twenty-five per cent of the estimated gross State domestic product for that year :

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this sub-section due to ground or grounds of unforeseen demands on the finance of the State Government due to internal security or natural calamity, subject to the condition that the excess beyond limits arising due to natural calamities does not exceed the actual fiscal cost that can be attributed to the calamities :

Provided further that the ground or grounds specified in the first proviso shall be placed before the State Legislature, as soon as possible, after it becomes likely that such deficit amount may exceed the aforesaid limits, with accompanying report stating the likely extent of excess, and reasons therefor.

Measures for Fiscal Transparency

5. (1) The State Government shall take suitable measures to ensure greater transparency in its fiscal operations in public interest and minimise as far as practicable in public interest, secrecy in the preparation of the annual budget.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall, at the time of presentation of the annual budget, disclose in a statement in the form as may be prescribed :-

(a) The significant changes in the accounting standards, policies and practices affecting or likely to effect the computation of prescribed fiscal indicators;

(b) As far as practicable, and consistent with protection of public interest, the contingent liabilities created by way of guarantees; the actual liabilities arising out of borrowings by Public Sector Undertaking and Special Purpose Vehicles and other equivalent instruments where liability for repayment is on the State Government, allocation and commitments made by the State Government having potential budgetary im[illegible]ions, including revenue demand raised but not realised, tax expenditure; losses incurred in providing public goods, and services through public utilities and undertaking, liability in respect of major works and contracts; and subsidy payments and impact of the same on the fiscal position of the State including in relation to the targets referred to in sub-section (3) of section 4.

Measures to enforce compliance

6. (1) The Annual Budget and policies announced at the time of the budget, shall be consistent with the objectives and targets specified in the Medium Term Fiscal Policy for the coming and future years.

(2) The Minister In-charge of the Department of Finance, shall review, every half yearly, the trend in receipts and expenditure in relation to the budget, remedial measures to be taken to achieve the budget targets, and place before the State Legislature the outcome of such reveiws. The review report shall be in such form as may be prescribed.

(3) The review shall explain--

(a) any deviation or likely deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act;

(b) whether such deviation is substantial and relates to the actual or the potential budgetary outcomes, and how much of the deviation can be attributed to general economic environment and to policy changes by the State Government; and

(c) the remedial measures the State Government proposes to take.

(4) Wherever there is a prospect of either shortfall in revenue or excess of expenditure over pre-specified levels for a given year on account of any new policy decision of the State Government that affects either the State Government or its public sector undertakings, State Government, prior to taking such policy decision, shall take measures to fully offset the fiscal impact for the current and future years by curtailing the sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State under any Act to provide for the appropriation of such sums, or by taking interim measures for revenue augmentation, or by taking up a combination of both :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State under Clause (3) of Article 202 of the Constitution :

Provided further that, while adhering to the fiscal years, the State Government will give priority to protect certain expenditure defined in the Medium Term Fiscal Restructuring Policy as "High Priority Development Expenditure" (including, *inter alia*) from curtailment or may impose a recede or partial curtailment.

(5) Whenever one or more supplementary estimates are presented to the State Assembly, the State Government shall also present an accompanying statement indicating the corresponding curtailment of expenditure and/or augmentation of revenue to fully offset the fiscal impact of the supplementary estimates in relation to the budget targets of the current year and the Medium Term Fiscal Policy objectives and targets for the future year.

Power to make rules

7. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely :--

(a) The fiscal indicator to be prescribed for the purpose of sub-section (2) of section 3 and clause (a) of sub-section (2) of section 5;

(b) The term of the Medium Term Fiscal Policy referred to in section 3;

(c) Any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Protection of action taken in good faith

8. No suit or prosecution or other legal proceedings shall be against the State Government or any officer of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Application of other laws not barred

9. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the provision of any other law for the time being in force.

Power to remove difficulties

10. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, be order published in the *Gazette* make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary for removing the difficulty :

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the State Assembly.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

क्रम संख्या—53

पंजीकृत संख्या—यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009—11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 08 अप्रैल, 2011 ई0

चैत्र 18, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 118/XXXVI(3)/2010/20(1)/2011

देहरादून, 08 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011" पर दिनांक 04 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2011)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियत करे।

धारा 4 का संशोधन

2—उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 4 में :—

(एक) उपधारा (3) के खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—

"(क) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों में राजस्व घाटा शून्य करेगी;"

(दो) उपधारा (3) के खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—

"(ग) वित्तीय वर्ष 2011—12 एवं 2012—13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2013—14 और 2014—15 में 3 प्रतिशत से अनधिक रखेगी;"

(तीन) उपधारा (3) के खण्ड (च) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—

"(च) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि में सुनिश्चित करेगी कि कुल प्राक्कलित ऋण दायित्व प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष क्रमशः 41.10 प्रतिशत, 40.00 प्रतिशत, 38.50 प्रतिशत और 37.20 प्रतिशत से अधिक न हो:

परन्तु यह है कि आन्तरिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबन्ध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य, जो आपदाओं के लिए आरोपित किया जा सकता हो, से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की, यह सम्भाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की धनराशि उपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, विधान मण्डल के समक्ष, आधिक्य की सम्भावित सीमा और उसके कारणों को आधिकथित करते हुए, एक रिपोर्ट के साथ रखा जायेगा।"

(चार) उपधारा (3) के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखण्ड (छ) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—

"(छ) राज्य सरकार उपरोक्त लक्ष्यों की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो कम से कम प्रत्येक छः माह में एक बार प्रगति की समीक्षा करेगी।"

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011' (Adhiniyam Sankhya 07 of 2011)--

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 04, 2011.

No. 118/XXXVI(3)/2010/20(1)/2011
Dated Dehradun, April 08, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2011

(UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2011)

Further to amend The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

AN

ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:--

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, appoint by notification in this behalf.

Amendment of section 4

2. In section 4 of the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005:

(i) clause (a) of sub-section (3) shall be substituted as follows; namely--

"(a) reduce the revenue deficit to nil in the four years starting from 1st April, 2011 and ending on 31st March, 2015;"

(ii) clause (c) of sub-section (3) shall be substituted as follows; namely--

"(c) reduce the fiscal deficit in financial year 2011-12 and 2012-13 to not more than 3.5 percent of gross state domestic product (GSDP) and 3 percent in financial year 2013-14 and 2014-15;"

(iii) clause (f) of sub-section (3) shall be substituted as follows; namely--

"(f) ensure that during the period of four financial years starting from 1st April, 2011 and ending on 31st March, 2015 the total estimated debt liability does not exceed 41.10, 40.00, 38.50 and 37.20 percent respectively of its estimated gross state domestic product:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this sub-section due to ground or grounds of unforeseen demands on the finance of the State Government due to internal security or natural calamity, subject to the condition that the excess beyond limits arising due to natural calamities does not exceed the actual fiscal cost that can be attributed to the calamities:

Provided further that the ground or grounds specified in the first proviso shall be placed before the State Legislature, as soon as possible, after it becomes likely that such deficit amount may exceed the aforesaid limits, with accompanying report stating the likely extent of excess, and reasons therefor."

(iv) after sub-clause (f) of sub-section (3), a new sub-clause (g) shall be inserted as follows; namely--

"(g) The State Government shall constitute a committee under the chairmanship of the Chief Secretary, to review the progress against above targets at least once every six months."

By Order,

RAM SINGH,

Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 12 विधायी / 179–2011–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–192 (घ)

पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई०

अग्रहायण 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 383 / XXXVI (3) / 2016 / 79(1) / 2016

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 40 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016

(अधिनियम संख्या 40, वर्ष 2016)

राजकोषीय समेकन के लिये 14वें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन करने हेतु उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ — (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त नियत करें।

2. मूल अधिनियम की धारा 2 में संशोधन — धारा 2 की उपधारा (छ) के पश्चात् एक नई उपधारा (ज) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्

"(ज)" ब्याज भुगतान" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा लिये गये कर्ज एवं अग्रिम एवं लोक लेखा में राज्य भविष्य निधि एवं अन्य दायित्व पर मूलधन की वापसी से भिन्न भुगतेय राशि।"

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में संशोधन— धारा 4 की उपधारा (3) का खण्ड (ग) निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :—

"(ग) (1) वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत् किया जाता है:—

(i) राज्य का राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। राज्य इससे अधिक की सीमा के लिए किसी भी वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ऋण– जी0एस0डी0पी0 अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता व उदारता के लिए पात्र होगा।

(ii) राज्य उक्त वर्ष में जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ब्याज भुगतान उसके पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जी0एस0डी0पी0 का 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए भी पात्र होगा।

(iii) लोचनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन राज्य उपर्युक्त इंगित दो विकल्प प्राप्त कर सकते हैं या तो उपर्युक्त में से कोई एक मानदण्ड पूरा करने पर कोई भी उपर्युक्त विकल्प या दोनों मानदण्डों को पूरा करने पर दोनों विकल्प एक साथ। इस प्रकार किसी दिए गए वर्ष में राज्य को अधिकतम राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 के 3.5 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त हो सकता है।

(iv) एक विकल्प या दोनों विकल्पों के अधीन अतिरिक्त सीमा प्राप्त करने के लिए राज्य के पास लोचनीयता तभी उपलब्ध होगी यदि उक्त वर्ष में, जिसमें उधार सीमाएं नियत की जानी है और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में कोई राजस्व घाटा न हो।

(2) वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी विशिष्ट वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के सामान्य राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे केवल अगले वर्ष में इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये में परिकलन किया गया है) को 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2017–18 से 2019–20 के भीतर प्राप्त करने का विकल्प होगा। अनुपयोजित उधार राशि सहित यह राशि जी0एस0डी0पी0 के 3.5 प्रतिशत तक सीमित होगी।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्बे,

प्रमुख सचिव।

No. 383/XXXVI(3)/2016/79(1)/2016
Dated Dehradun, December 19, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget (Amendment) Bill, 2016**' (Adhiniyam Sankhya 40 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 15 December, 2016.

THE UTTARAKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET (AMENDMENT) ACT, 2016

(Act no. 40 of 2016)

An

Act

Further to amend The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 to provide amendment in fiscal targets a recommended by the 14th Finance Commission for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.

Be it enacted by the Legislative Assembly in the sixty seventh year of the republic of India as follows :-

1. **Short title, Extent and Commencement and extension** - (1) This Act may be called The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force on such data as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

2. Amendment in Section 2 in the Principal Act - after sub-section (g) of section 2 a new sub section (h) shall be inserted as follows; namely-

"(h)' Interest Payment' means the amount Payable other than refund of principal amount on the internal debt of the State Government from the Central Government and on State provident funds and other liabilities in the public account."

3. Amendment of Section 4 in the Principal Act - Clause (c) of sub section (3) of section 4 in the Principal Act, shall be substituted as follows; namely-

"(b)(1) The Fiscal deficit targets and annual borrowing limits for the State during the period 2016-17 to 2019-20 are enunciated as follows :-

(i) Fiscal deficit of the State will be anchored to an annual limit of 3 percent of GSDP. The State will be eligible for flexibility of 0.25 percent over and above this for any given year for which the borrowing limits are to be fixed if the debt-GSDP Ratio is less than or equal to 25 percent in the preceding year.

(ii) The State will be further eligible for an additional borrowing limit of 0.25 percent of GSDP in a given year for which the borrowing limits are to be fixed if the interest payments are less than or equal to 10 percent of the revenue receipts in the preceding year.

(iii) The two options under these flexibility provisions can be availed can be availed by the State either separately, if any of the above criterion is fulfilled, or simultaneously if both the above stated criterion are fulfilled. Thus, the State can have a maximum fiscal deficit GSDP limit of 3.5 percent in any given year.

(iv) The flexibility for availing the additional limit under either of the two options or both will be available to the State only if there is no revenue deficit in the year in which borrowing limits are to be fixed and the immediately preceding year.

(2) If the State is not able to fully utilize its sanctioned borrowing limit of 3 percent of GSDP in any particular year during the financial year between 2016-17 to 2018-19 it will have the option of availing this unutilized borrowing amount (calculated in Rs.) only in the following year within the Fourteenth Finance Commission award period of 2017-18 to 2019-20. The amount including unutilized borrowing amount will be limited to 3.5 of GSDP."

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE,
Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में राज्यों के राजकोषीय परिवेश एवं राजकोषीय समेकन रोडमैप के अध्याय में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया गया है।

2– वित्त आयोग के प्रस्तावानुसार ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उसके पिछले वित्तीय वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर होने पर 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता एवं उदारता के लिए पात्रता बतायी है तथा ब्याज भुगतान उसके पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर होने पर 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता एवं उदारता के लिए पात्रता बतायी है।

3– किसी एक साल के लिए राज्य का अधिकतम राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तक हो सकता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा अवगत कराया गया है कि जिस वर्ष के लिए उधार सीमाऐं निर्धारित की जानी है, उस वित्तीय वर्ष एवं पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा है कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया जाय और संशोधित अधिनियम की प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जाय।

अतएव, राज्य सरकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ का केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश राशि देने के लिए उपयोग करेगी जिससे विकास कार्यों में वृद्धि की जा सके और राज्य को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है।

4– विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 विधायी / 632–2016–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या—56

पंजीकरण संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018—2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, मंगलवार, 14 जुलाई, 2020 ई0

आषाढ़ 23, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 186/XXXVI(3)/2020/31 (1)/2020

देहरादून, 14 जुलाई, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन माननीय राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2020" पर दिनांक 13 जुलाई, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 9 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या– 9 वर्ष, 2020)

(भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि, राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है तथा राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि उन्हें तुरन्त कार्यवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करें।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 4 में उपधारा (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

"(ग) राज्य का राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। वर्ष 2020–21 के लिये निम्नलिखित राज्य स्तरीय सुधारों को लागू करने पर राज्य को जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा प्राप्त हो सकेगी:–

(i) 0.50 प्रतिशत तक शर्तरहित वृद्धि।

(ii) 1 प्रतिशत वृद्धि 0.25 प्रतिशत के 04 अंशों में विभाजित होगी, जिसमें प्रत्येक अंश स्पष्ट रूप से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मापनीय (Measurable) सुधार से जुड़ा होगा:-

(क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का क्रियान्वयन (0.25 प्रतिशत);

(ख) ईज ऑफ डुईंग बिजनेस सुधार (0.25 प्रतिशत);

(ग) शहरी स्थानीय निकाय/यूटीलिटी सुधार (0.25 प्रतिशत);

(घ) ऊर्जा क्षेत्र सुधार (0.25 प्रतिशत);

सुधार कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट– '1' एवं '2' में दिया गया है।

(iii) प्रस्तर– (ii) में दिये गये उपर्युक्त 04 सुधारों में से 03 को प्राप्त करने पर अवशेष 0.50 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हो सकेगी।"

परिशिष्ट–'1'

1. <u>एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था का क्रियान्वयन</u> – यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। विशेषतः प्रवासी मजदूरों एवं उनके परिवारों को पूरे देश के अन्दर किसी भी Fair Price Shops (FPS) से राशन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ पंहुचाने तथा फर्जी/डुप्लीकेट/अयोग्य कार्ड धारकों को हटाने में सहायक होगी। इस प्रकार यह कल्याण को बढ़ावा देगी तथा लीकेज को कम करेगी। राशन कार्ड की निर्बाध अन्तर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने हेतु सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग कराये जाने के साथ ही साथ सभी Fair Price Shops (FPS) पर इलैक्ट्रोनिक प्वाइंट ऑफ सेल (e-pos) को स्थापित करते हुए लाभार्थियों का बायो–मैट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। इसलिये यह निर्णय हुआ है कि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किये जाने पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी–

(i) राज्य में सभी राशन कार्ड एवं लाभार्थियों की आधार सीडिंग ।

(ii) राज्य में सभी Fair Price Shops (FPS) का ऑटोमेशन।

राज्य को उपर्युक्त कार्य दिनांक 31.12.2020 तक पूरा कर लेना चाहिये। जो राज्य उक्त कार्य को पहले पूरा कर लेंगे या पूरा कर चुकें हैं, उन्हें तुरन्त अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ उपलब्ध होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस हेतु नोडल विभाग होगा जो इस दिशा में राज्य की प्रगति का आंकलन करते हुए अतिरिक्त उधार सीमा हेतु संस्तुति देगा। उक्त संस्तुति व्यय विभाग (DoE) को प्रेषित किये जाने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 15.01.2021 होगी।

2. <u>ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं लाईसेंसिंग सुधार</u>– ईज ऑफ डुईंग बिजनेस देश में निवेश अनुकूल व्यवसायिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में सुधार भविष्य में राज्य अर्थ व्यवस्था की तीव्र उन्नति में सहायक होगा। इसलिए ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं लाईसेंसिंग सुधार को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति निम्नलिखित सभी गतिविधियों को पूरा किये जाने पर दी जायेगी–

(i) उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग द्वारा सूचित "District Level Business Reform Action Plan" का प्रथम मूल्यांकन राज्य द्वारा पूरा कर लिया जायेगा।

(ii) उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग द्वारा परिचालित सूची में उपलब्ध अंकित विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में सर्टीफिकेट/अनुमोदन/लाईसेन्स के नवीनीकरण की आवश्यकता को राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा (परन्तु स्वचालित गैर विभेदकारी तरीके से केवल तार्किक शुल्क वसूली की अनुमति होगी, यदि वह

पारदर्शी ऑनलाईन, गैर विभेदकारी तथा स्वचालित तरीके से किया गया हो।) अतिरिक्त उधार सीमा की अर्हता हेतु अनुलग्नक–2 में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में नवीनीकरण की आवश्यकता को दिनांक 31.01.2021 तक समाप्त किया जाना चाहिये।

(iii) अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग द्वारा परिचालित सूची के अनुसार राज्य द्वारा कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली को क्रियान्वित किया जायेगा, जिसमें निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की तैनाती केन्द्रीय स्तर से की जायेगी। किसी इकाई का निरीक्षण एक ही निरीक्षक से आगामी वर्ष में नहीं कराया जायेगा। निरीक्षण की पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवसायी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट को अडतालिस (48) घटों के अन्दर अपलोड कर दिया जायेगा। पात्रता हेतु, कम से कम परिशिष्ट में उल्लिखित अधिनियम हेतु कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली को दिनांक 31.01.2021 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है। उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग अतिरिक्त उधारी की संस्तुति हेतु नोडल विभाग होगा इस हेतु अन्तिम तारीख 15.02.2021 होगी।

3. <u>स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण हेतु सुधार –</u> बेहतर लोक स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था के साथ ही अच्छे नागरिक बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिये, जो आर्थिक विकास एवं कल्याण को बढावा देते हैं, शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों एवं सुविधाओं को बढाये जाने की आवश्यकता होने के दृष्टिगत यह निर्णय हुआ है कि राज्य सरकार को निम्नलिखित सुधार कार्य किये जाने पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति होगी–

(i) राज्य सरकार (क) राज्य शहरी स्थानीय निकायों हेतु सम्पत्ति कर के फ्लोर रेट्स, जो प्रचलित सर्किल रेट्स के अनुरूप हो (जैसे–सम्पत्ति अन्तरण की दर हेतु दिशानिर्देश), (ख) जल आपूर्ति, जल निकासी एवं सीवरेज के उपयोगकर्ता शुल्क, जो वर्तमान मूल्य/गत मुद्रा स्फीति पर आधारित हो, हेतु फ्लोर रेट्स के सम्बन्ध में प्रावधान अधिसूचित करेगी।

(ii) राज्य सम्पत्ति कर/उपयोगकर्ता शुल्क के फ्लोर रेट्स में मूल्य वृद्धि के अनुसार समय–समय पर वृद्धि किये जाने हेतु सिस्टम बनायेगा।

इस सम्बन्ध में प्रगति का आकलन किये जाने एवं अतिरिक्त उधार सीमा की स्वीकृति दिये जाने हेतु आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होगा, जिसकी अन्तिम तारीख 15.01.2021 होगी।

4. <u>ऊर्जा क्षेत्र में सुधार</u> – राज्य सरकार को तीव्र प्रणालीगत सुधारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि डिस्कॉम कम्पनियों की तरलता समस्या का उन्मूलन के साथ ही सबसिडी का लाभ किसानों/लक्षित लाभार्थियों को मिले तथा ऊर्जा क्षेत्र की हालत में सुधार हो। इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ है कि निम्नलिखित गतिविधियों का कियान्वयन किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त उधारी सीमा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी–

(i) राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कुल कमी के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी।

(ii) राज्य में आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अन्तर (ACS-ARR gap) में कमी के लिये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी। (नोट—ACS-ARR के अन्तर की गणना में राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा शेष बकाया राशि को राजस्व से घटाया जायेगा।)

(iii) राज्य के सभी किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली के स्थान पर उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) शुरू करने के लिये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.15 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (2021–22) में ऐसी योजना बनायी जायेगी, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली के बजाय DBT के माध्यम से नकद हस्तांतरण किया जाय। जहां किसानों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि से विद्युत शुल्क का भुगतान सीधे DISCOMS को किया जायेगा। उक्त से सम्बन्धित पात्रता प्राप्त किये जाने हेतु राज्य द्वारा (क) DBT योजना बनायी जायेगी और (ख) इस योजना को दिनांक 31.12.2020 तक कम से कम एक जिले में लागू किया जायेगा।

तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) घाटे में कमी एवं आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अन्तर में कमी के आकलन का आधार जनवरी, 2021 में राज्य द्वारा की गयी स्वघोषणा होगी। यद्यपि स्वघोषित आंकड़े एवं वास्तविक प्राप्ति आंकड़े के बीच किसी भी प्रकार की भिन्नता आगामी वित्तीय वर्ष में ऋण लेने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उक्त के सम्बन्ध में प्रगति का आंकलन करने और अतिरिक्त उधार सीमा की संस्तुति व्यय विभाग को किये जाने हेतु ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। व्यय विभाग (DoE) को संस्तुति प्रेषित किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2021 होगी।

5. राज्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपर्युल्लिखित 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा (पात्रता की सीमा के अन्तर्गत) का उपयोग कर सकेगा। इस सुविधा का उपयोग आगामी वर्षों हेतु अनुमन्य नहीं किया जा सकेगा।

परिशिष्ट– '2'

नवीनीकरण और केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली को हटाने का कार्यान्वयन–

नवीनीकरण–

1. दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत
2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए लाइसेंस
3. कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत लाइसेंस
4. विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत
5. अंतर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के तहत स्थापना का रजिस्ट्रीकरण
6. दवा निर्माण / बिक्री / भंडारण लाइसेंस
7. नगर निगमों द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस

निरीक्षण अन्तर्गत–

1. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
3. दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम
4. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
5. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
6. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
7. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
8. कारखाना अधिनियम, 1948
9. भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
10. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974
11. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981
12. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण

बेबी रानी मौर्य,
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

No. 186/XXXVI(3)/2020/31 (1)/2020
Dated Dehradun, July 14, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2020 (Uttarakhand Ordinance NO. 9 of 2020)**

As assented to by the Governor on 13 July, 2020.

THE UTTARAKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(Uttarakhand Ordinance No. 9, 2020)

Promulgated by the Governor in Seventy first year of the Republic of India

An

ORDINANCE

further to amend The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005,

WHEREAS, State Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance-

Short title, Extent and Commencement 1. (1) This Ordinance may be called The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) The provision of this ordinance shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.

Amendment of Section 4

2. In section 4 of the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, for clause (c) of subsection (3), the following clause shall be substituted, namely:-

" (c) The fiscal deficit of the State will provide stability to the annual limit of three percent of GSDP (Gross State Domestic Product). The State may get an additional limit of two percent of GSDP (Gross State Domestic Product) for the year 2020-21, subject to the implementation of the following State level reforms-

(i) Increase up to 0.50 percent without any condition.

(ii) 1 percent in four tranches of 0.25 percent with each tranche linked to clearly specified measureable reform as under:

(a) Implementation of One Nation One Ration Card System (0.25 percent);

(b) Ease of doing business reforms (0.25 percent);

(c) Urban Local Body/Utility reforms (0.25 percent);

(d) Power Sector reforms (0.25 percent);

The detailed description of reform action is given in Annexure-1 & 2.

(iii) Remaining 0.50 percent increase may be obtained on undertaking 3 out of the above 4 reforms given in para (ii)."

Annexure-'1'

1. **Implementation of One Nation One Ration Card System:** This system will ensure availability of ration to beneficiaries under National Food Safety Act (NFSA) and other welfare schemes, especially the migrant workers and their families, at any Fair Price Shop (FPS) across the country, and enable better targeting of beneficiaries, elimination of bogus/duplicate/ineligible card holders. Thus it will enhance welfare and reduce leakage. To ensure seamless inter-state portability of a ration card, Aadhar seeding of all ration cards as well as biometric authentication of beneficiaries through automation of all Fair prices shops (FPSs) with installation of electronic point of sale (e-poS) devices are essential. Therefore, it has been decided to allow additional borrowing limit of 0.25 percent of GSDP on completion of both of the following actions:

   (i) Aadhar Seeding of all the ration cards and beneficiaries in the state.
   (ii) Automation of all the FPSs in the State.

The State Should complete the above mentioned actions by 31st December, 2020. The States which complete them earlier, or have already completed them, can seek additional borrowing limit immediately, Department of Food and public Distribution will be the nodal Ministry to assess the progress of the State and recommend release of additional borrowing limit. The last date for recommendation to reach Department of expenditure (DoE) is 15th January, 2021.

2. **Implementation of District Level and Licensing Reforms for Ease of Doing Business:** Ease of Doing Business is an important indicator of investment friendly business climate in the country and improvements in ease of doing business will enable faster future growth of the state economy. Therefore, in order to incentivize implementation of district level and licensing reforms for ease of doing business it has been decided to allow additional borrowing limit of 0.25 percent of GSDP for the year 2020-21 on undertaking all the following actions by the State Government:

   i. The State will complete the first assessment of 'District Level Business Reform Action Plan' as intimated by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
   ii. The State will eliminate the requirements of renewal of certificates/approvals/Licenses obtained by businesses for various activities from the authorities at the State level as per list circulated by DPIIT. (However, mere collection of reasonable fees with automatic non-discretionary deemed renewal will be permissible if done in a transparent online, non-discretionary & automatic manner.) To become eligible, elimination of renewal at least of the specific items mentioned in the Annexure-2 should be completed by 31st January, 2021.

iii. The State will implement computerized central random inspection system under the Acts as per list circulated by DPIIT wherein allocation of inspections inspectors is done centrally, the same inspector is not assigned to the same unit in subsequent years, prior inspection notice is provided to business owner, and inspection report is uploaded within 48 hours of inspection. To become eligible, implementation of computerized central random inspection system at least under the Acts mentioned in the Annexure-2 should be completed by 31st January, 2021.

DPIIT will be the nodal ministry to assess the progress and recommend the release of additional borrowing. The cut-off date for this will be 15th February, 2021.

3. **Reforms for Strengthening local Bodies:** To enable better public health and sanitation as well as provision of good civic infrastructure, which in turn promote economic growth and well-being, there is a pressing need to augment resources of urban local bodies (ULBs) and urban utilities, it has been decided to allow additional borrowing limit of 0.25 per cent of GSDP for the year 2020-21 on undertaking the following reforms by the State Government:

(i) The State Government will notify (a) floor rates of property tax in ULBs which are in consonance with the prevailing circle rates (i.e. guideline rate for property Transactions) and (b) floor rates of user charges in respect of the provision of water-supply, drainage and sewerage which reflect current costs/past inflation.

(ii) The State will put in place a system of periodic increase in floor rates the property tax/user charges in line with prices increases.

Ministry of Housing and Urban Affairs will be the nodal ministry to assess the progress and recommend the release of additional borrowing limit. The cut-off date for this will be 15th January, 2021

4. **Power Sector Reforms:** Robust Systemic reforms are required to be undertaken by the State governments to ensure that the subsidies reach farmers/ intended beneficiaries without leakage and to improve the health of the power sector, in addition to alleviating the liquidity stress of the DISCOMS. It has been decided to allow additional borrowing limit for the following actions in the manner given below:

(i) For reduction in Aggregate Technical & Commercial losses in a State as per targets, an additional borrowing limit of 0.05 percent of its GSDP shall be allowed.

(ii) For reduction in the gap between Average cost of supply and Average Revenue Realization (ACS-ARR gap) in a State as per targets, an additional borrowing limit of 0.05 percent of its GSDP shall be allowed. [Note: In calculating the ACS-ARR gap, amounts remaining unpaid by state Government/local bodies shall be deducted from the revenues.]

(iii) For introduction of direct Benefit Transfer to all farmers in a states in lieu of free electricity given to them, additional borrowing limit of 0.15 percent of its GSDP shall be allowed. The State Government should put in place a scheme whereby from the next financial year (2021-22), cash is transferred to the farmers through DBT instead of free electricity being provided to them, where as charges of the electricity are paid to the DISCOMs by farmers directly from the amounts given to them. To become eligible, the state should (a) formulate the DBT schemes and (b) implement this scheme at least in one district by 31st December, 2020.

The assessment of reduction in AT&C losses and in the ACS-ARR gap will be based on self declaration by the state Government in January, 2021. However, any major variation between this self declared figure and actual realization assessed later on, may affect the borrowing entitlement adversely in the subsequent financial year (s). Ministry of power would be the nodal ministry to assess the progress and recommend the release of additional borrowing to DoE. The last date for recommendation to reach DoE is 31st January, 2021.

5. The state shall exhaust the aforesaid additional borrowing of 2 percent during the year 2020-21 (to the extent eligible) and it will not be allowed to carry forward to the subsequent years.

Annexure-'2'

Implementation of removal of renewals and central Inspection System

Renewals of :

1. Registration under shops & Establishment Act
2. License for contractors under provision of the Contracts Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
3. License under The Factories Act, 1948
4. Registration Under Legal Metrology Act
5. Registration of establishment under the Inter State Migrant workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979
6. Drug Manufacturing/Selling/Storage License
7. Trade License issued by Municipal Corporations.

Inspections under:

1. The Equal Remuneration Act, 1976
2. The Minimum wages Act, 1948
3. The Shops and Establishments Act
4. The Payment of Bonus Act, 1965
5. The Payment of Wages Act, 1936
6. The Payment of Gratuity Act, 1972
7. The Contract Labours (Regulation and Abolition) Act, 1970
8. The Factories Act, 1948
9. The Indian-Boilers Act, 1923
10. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
11. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
12. Inspection under Legal Metrology Act, 2009 and Rules.

BABY RANI MAURYA,
Governor, Uttarakhand.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 31 विधायी / 252–2020–100+300 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–100 (3) पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020 ई0

आश्विन 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 380/XXXVI (3)/2020/54(1)/2020

देहरादून, 21 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का **अधिनियम संख्याः 24 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करें।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 4 में उपधारा (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:—

"(ग) राज्य का राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। वर्ष 2020–21 के लिये निम्नलिखित राज्य स्तरीय सुधारों को लागू करने पर राज्य को जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा प्राप्त हो सकेगी:—

(i) 0.50 प्रतिशत तक शर्तरहित वृद्धि।

(ii) 1 प्रतिशत वृद्धि 0.25 प्रतिशत के 04 अंशों में विभाजित होगी, जिसमें प्रत्येक अंश स्पष्ट रूप से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मापनीय (Measurable) सुधार से जुड़ा होगा:—

(क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का क्रियान्वयन (0.25 प्रतिशत);

(ख) ईज ऑफ डुईंग बिजनेस सुधार (0.25 प्रतिशत);

(ग) शहरी स्थानीय निकाय/यूटीलिटी सुधार (0.25 प्रतिशत);

(घ) ऊर्जा क्षेत्र सुधार (0.25 प्रतिशत);

सुधार कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट– '1' एवं '2' में दिया गया है।

(iii) प्रस्तर– (ii) में दिये गये उपर्युक्त 04 सुधारों में से 03 को प्राप्त करने पर अवशेष 0.50 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हो सकेगी।"

परिशिष्ट–'1'

1. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था का क्रियान्वयन – यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। विशेषतः प्रवासी मजदूरों एवं उनके परिवारों को पूरे देश के अन्दर किसी भी Fair Price Shops (FPS) से राशन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ पंहुचाने तथा फर्जी/डुप्लीकेट/अयोग्य कार्ड धारकों को हटाने में सहायक होगी। इस प्रकार यह कल्याण को बढावा देगी तथा लीकेज को कम करेगी। राशन कार्ड की निर्बाध अन्तर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने हेतु सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग कराये जाने के साथ ही साथ सभी Fair Price Shops (FPS) पर इलैक्ट्रोनिक प्वांइट ऑफ सेल (e-pos) को स्थापित करते हुए लाभार्थियों का बायो–मैट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। इसलिये यह निर्णय हुआ है कि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किये जाने पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी–

(i) राज्य में सभी राशन कार्ड एवं लाभार्थियों की आधार सीडिंग ।

(ii) राज्य में सभी Fair Price Shops (FPS) का ऑटोमेशन।

राज्य को उपर्युक्त कार्य दिनांक 31.12.2020 तक पूरा कर लेना चाहिये। जो राज्य उक्त कार्य को पहले पूरा कर लेंगे या पूरा कर चुकें हैं, उन्हें तुरन्त अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ उपलब्ध होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस हेतु नोडल विभाग होगा जो इस दिशा में राज्य की प्रगति का आंकलन करते हुए अतिरिक्त उधार सीमा हेतु संस्तुति देगा। उक्त संस्तुति व्यय विभाग (DoE) को प्रेषित किये जाने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 15.01.2021 होगी।

2. ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं लाईसेंसिंग सुधार– ईज ऑफ डुईंग बिजनेस देश में निवेश अनुकूल व्यवसायिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में सुधार भविष्य में राज्य अर्थ व्यवस्था की तीव्र उन्नति में सहायक होगा। इसलिए ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं लाईसेंसिंग सुधार को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देशय से यह निर्णय हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति निम्नलिखित सभी गतिविधियों को पूरा किये जाने पर दी जायेगी–

(i) उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग द्वारा सूचित "District Level Business Reform Action Plan" का प्रथम मूल्यांकन राज्य द्वारा पूरा कर लिया जायेगा।

(ii) उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग द्वारा परिचालित सूची में उपलब्ध अंकित विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में सर्टीफिकेट/अनुमोदन/लाईसेन्स के नवीनीकरण की आवश्यकता को राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा (परन्तु स्वचालित गैर विभेदकारी तरीके से केवल तार्किक शुल्क वसूली की अनुमति होगी, यदि वह

पारदर्शी ऑनलाईन, गैर विभेदकारी तथा स्वचालित तरीके से किया गया हो।) अतिरिक्त उधार सीमा की अर्हता हेतु अनुलग्नक–2 में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में नवीनीकरण की आवश्यकता को दिनांक 31.01.2021 तक समाप्त किया जाना चाहिये।

(iii) अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग द्वारा परिचालित सूची के अनुसार राज्य द्वारा कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली को कियान्वित किया जायेगा, जिसमें निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की तैनाती केन्द्रीय स्तर से की जायेगी। किसी इकाई का निरीक्षण एक ही निरीक्षक से आगामी वर्ष में नहीं कराया जायेगा। निरीक्षण की पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवसायी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट को अडतालिस (48) घटों के अन्दर अपलोड कर दिया जायेगा। पात्रता हेतु, कम से कम परिशिष्ट में उल्लिखित अधिनियम हेतु कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली को दिनांक 31.01.2021 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है। उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग अतिरिक्त उधारी की संस्तुति हेतु नोडल विभाग होगा इस हेतु अन्तिम तारीख 15.02.2021 होगी।

3. **<u>स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण हेतु सुधार</u> –** बेहतर लोक स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था के साथ ही अच्छे नागरिक बुनियादी ढ़ांचे को सक्षम बनाने के लिये, जो आर्थिक विकास एवं कल्याण को बढावा देते हैं, शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों एवं सुविधाओं को बढाये जाने की आवश्यकता होने के दृष्टिगत यह निर्णय हुआ है कि राज्य सरकार को निम्नलिखित सुधार कार्य किये जाने पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति होगी–

(i) राज्य सरकार (क) राज्य शहरी स्थानीय निकायों हेतु सम्पत्ति कर के फ्लोर रेट्स, जो प्रचलित सर्किल रेट्स के अनुरूप हो (जैसे–सम्पत्ति अन्तरण की दर हेतु दिशानिर्देश), (ख) जल आपूर्ति, जल निकासी एवं सीवरेज के उपयोगकर्ता शुल्क, जो वर्तमान मूल्य/गत मुद्रा स्फीति पर आधारित हो, हेतु फ्लोर रेट्स के सम्बन्ध में प्रावधान अधिसूचित करेगी।

(ii) राज्य सम्पत्ति कर/उपयोगकर्ता शुल्क के फ्लोर रेट्स में मूल्य वृद्धि के अनुसार समय–समय पर वृद्धि किये जाने हेतु सिस्टम बनायेगा।

इस सम्बन्ध में प्रगति का आकलन किये जाने एवं अतिरिक्त उधार सीमा की स्वीकृति दिये जाने हेतु आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होगा, जिसकी अन्तिम तारीख 15.01.2021 होगी।

4. **<u>ऊर्जा क्षेत्र में सुधार</u>** – राज्य सरकार को तीव्र प्रणालीगत सुधारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि डिस्कॉम कम्पनियों की तरलता समस्या का उन्मूलन के साथ ही सबसिडी का लाभ किसानों/लक्षित लाभार्थियों को मिले तथा ऊर्जा क्षेत्र की हालत में सुधार हो। इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ है कि निम्नलिखित गतिविधियों का कियान्वयन किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त उधारी सीमा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी–

(i) राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कुल कमी के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी।

(ii) राज्य में आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अन्तर (ACS-ARR gap) में कमी के लिये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी। (नोट—ACS-ARR के अन्तर की गणना में राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा शेष बकाया राशि को राजस्व से घटाया जायेगा।)

(iii) राज्य के सभी किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली के स्थान पर उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) शुरू करने के लिये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.15 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (2021–22) में ऐसी योजना बनायी जायेगी, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली के बजाय DBT के माध्यम से नकद हस्तांतरण किया जाय। जहां किसानों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि से विद्युत शुल्क का भुगतान सीधे DISCOMS को किया जायेगा। उक्त से सम्बन्धित पात्रता प्राप्त किये जाने हेतु राज्य द्वारा (क) DBT योजना बनायी जायेगी और (ख) इस योजना को दिनांक 31.12.2020 तक कम से कम एक जिले में लागू किया जायेगा।

तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) घाटे में कमी एवं आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अन्तर में कमी के आकलन का आधार जनवरी, 2021 में राज्य द्वारा की गयी स्वघोषणा होगी। यद्यपि स्वघोषित आंकडे एवं वास्तविक प्राप्ति आकड़े के बीच किसी भी प्रकार की भिन्नता आगामी वित्तीय वर्ष में ऋण लेने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उक्त के सम्बन्ध में प्रगति का आंकलन करने और अतिरिक्त उधार सीमा की संस्तुति व्यय विभाग को किये जाने हेतु ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। व्यय विभाग (DoE) को संस्तुति प्रेषित किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2021 होगी।

5. राज्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपर्युल्लिखित 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा (पात्रता की सीमा के अन्तर्गत) का उपयोग कर सकेगा। इस सुविधा का उपयोग आगामी वर्षों हेतु अनुमन्य नहीं किया जा सकेगा।

परिशिष्ट– '2'

नवीनीकरण और केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली को हटाने का कार्यान्वयन–

नवीनीकरण:–

1– दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत

2– ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए लाइसेंस

3– कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत लाइसेंस

4– विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत

5– अंतर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के तहत स्थापना का रजिस्ट्रीकरण

6– दवा निर्माण / बिक्री / भंडारण लाइसेंस

7– नगर निगमों द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस

निरीक्षण

1– समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

2– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

3– दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम

4– बोनस संदाय अधिनियम, 1965

5– मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

6– उपदान संदाय अधिनियम, 1972

7– ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

8– कारखाना अधिनियम, 1948

9– भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923

10– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974

11– वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981

12– विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

वैश्विक महामारी COVID-19 से बचाव हेतु लॉक डाउन लागू होने से राज्य के आर्थिक संशाधनो में कमी एवं अतिरिक्त खर्चो के कारण राज्य सरकार के संशाधनो को मजबूती प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के लिये निर्धारित राज्य स्तरीय सुधार लागू करने पर पूर्व में निर्धारित राजकोषीय घाटे की वार्षिक सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत) में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि प्रदान की गयी। इस हेतु उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (3) में संशोधन किया जाना अपरिहार्य था। चूंकि तत्समय विधानसभा सत्र में नहीं थी। अतः 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (अध्यादेश सं0–09 वर्ष 2020) प्रख्यापित किया गया।

2– प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री